

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय: डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा को मात्र 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा के विरुद्ध विभागीय ज्ञापांक 1093(9) दिनांक 04.11.2024 से आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मांग किए जाने के कारण वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 77 दिनांक 21.01.2019 एवं वित्त विभागीय ज्ञापांक 383 दिनांक 22.04.2019 के आलोक में मात्र 90% औपबंधिक पेंशन की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह की सेवा निवृत्ति की तिथि 30.09.2025 है ।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी लंबित अंकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 107/2025-26 एवं PR-193818 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह से की जाएगी ।

3) उक्त आदेश इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी ।

4) इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक:-

(क) पेंशन-प्रपत्र की दो प्रति ।

(ख) संयुक्त फोटो ।

(ग) हस्ताक्षर का नमूना ।

(घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।

(ङ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका ।

(च) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ।

(छ) वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र ।

(ज) अंतिम पदस्थापित स्थल से निर्गत बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(झ) अंतिम प्रभार प्रतिवेदन ।

5) अनुरोध है कि सभी बकाये के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार-पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक: 154 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 12/2/20
प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि डा0 सिंह का आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकर, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा, पत्राचार का पता-गॉंधी मैदान के पास औरंगाबाद, डाकघर-औरंगाबाद, थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, पिन-824101, मो0नं0-7004800775 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. 12/2/20
सरकार के उप सचिव